HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun (Uttarakhand)
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
46बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)
Phone: (0135) 2658086; Fax: (0135) 2718092; E-mail: msukpcb@yahoo.com; Web: www.ueppcb.uk.gov.in

Dt. 10-2-2020

Ref: UEPPCB/HO/NOC-7294/2020 /1791

To,

Chairman,
State Environmental Impact
Assesment Authority,
653 Indira Nagar Colony,
Seemadwar Road, Dehradun.

Subject : Public Hearing for Project Soap Stone Mining (Area-17.96Ha.) Vill-Bajeta, Tehsil-Munsyari,Distt-Pithoragarh (Uttarakhand) by/M/s J.D. Minerals, Shri Rajendra Singh Dafoti.

Sir,

This is to inform that **Uttarakhand Pollution Control Board** has conducted the Public Hearing of **Soap Stone Mining Vill-Bajeta, Tehsil-Munsyari, Distt-Pithoragarh (Uttarakhand) on dated 12.01.2020 at project Premises.** The copy of the minutes of **Public Hearing** along with video recording, photography of entire Public Heairng and copy of attendence sheets are enclosed here with for your kind persual and necessary action please.

Enclosed :- as above.

Yours Faithfully

(S.P. Subudhi),
Member Secretary

Copy to :-

1. **District Magistrate, Pitjoragarh** for kind information and with request to display the minutes of respective public hearing at your office for general information please.
2. **Regional Officer (I/C) UPCB, Haldwani** with direction to display the minutes of respective public hearing at your office for general information please.
3. **M/s J.D. Minerals, Shree Rajendra Singh Dafoti, B-54, Judge farm, choti mukhani, Haldwani, Distt-Nainital, (Uttarakhand)** for Kind information please.
4. **Information Officer, ENVIS, Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, Dehradun** with request to upload of minutes of public hearing to Board's web site on priority basis.

Member Secretary

मै0 जे.डी. मिनरल्स, श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, ग्राम–बजेता, तहसील–मुनस्यारी, जिला–पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 12.01.2020 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 जे.डी. मिनरल्स, श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी द्वारा ग्राम– बजेता, तहसील मुनस्यारी, जिला– पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड में 17.96 हैक्टे. क्षेत्रफल में सोप स्टोन खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन के अनुक्रम में दिनांक **12.01.2020** को प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल के निकट राजकीय इन्टर कालेज, बॉसबगढ़ के परिसर में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन 2006 यथासंशोधित के अनुसार इस प्रकार के उद्योग पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अपेक्षा रखने वाले उद्योगो की श्रेणी में आच्छादित हैं। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदन के क्रम में लोक सुनवाई आयोजित किये जाने का प्रस्ताव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में प्राप्त हुआ था। इसी अनुक्रम में राज्य बोर्ड द्वारा जनसुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्रों अमर उजाला तथा हिन्दुस्तान टाइम्स के दिनांक–11.12.2019 के अंकों में प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये, परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए0 रिपोर्ट व सारांश अभिलेख जनसामान्य के अवलोकनार्थ, जिलाधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़, जिला पंचायत कार्यालय, पिथौरागढ़, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र पिथौरागढ़, अधिशासी अधिकारी न0पा0प0 पिथौरागढ़ तथा क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी। इसी अनुक्रम में दिनांक 12.01.2020 को **अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़** की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी के **सहायक पर्यावरण अभियन्ता** द्वारा लोक सुनवाई में आये हुए महानुभावों तथा लोक सुनवाई के **पैनल अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़** का स्वागत किया गया तथा जनसामान्य से अनुरोध किया गया कि परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् वे परियोजना के सम्बन्ध में अपनी आपत्तियॉ सुझाव, टीका टिप्पणी आदि मौखिक अथवा लिखित रूप से दें तॉकि उनको सुनवाई के कार्यवृत्त में शामिल किया जा सकें एवं उनकी आपत्ति/सुझाव को सक्षम स्तर तक पहुँचाया जा सकें।

इसके पश्चात् परियोजना के **पर्यावरणीय सलाहकार संस्था मैसर्स कोग्नीजेन्स रिसर्च इण्डिया प्रा0लि0** के श्री **सुशान्त गौड** द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण जन सामान्य को प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण तथा लोकहित के उद्देश्य से परियोजना की भविष्य की योजनाओं से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त निम्न व्यक्तियों द्वारा अपने सुझाव एवं विचार रखे गयेः–

1.श्री तिरपान राम, ग्राम–बजेता, पिथौरागढ़।

इनके द्वारा अपरजिलाधिकारी, खनन व्यावसायी आदि का स्वागत करते हुए कहा गया कि क्षेत्र की जनता अनपढ़ होने के कारण इस परियोजना स्वीकृति के सम्बन्ध में हमारे द्वारा जो हस्ताक्षर किये गये हैं के सम्बन्ध में भ्रम की स्थिति रखती है। अतः इस भ्रम को दूर किया जाना चाहिऐ। इनके द्वारा कहा गया कि विगत 6 सितम्बर को भारी वर्षा के कारण आपदा आई, जो कि खनन से और अधिक हो सकती है।

इस पर सहा0 पर्या0 अभियन्ता, श्री नरेश गोस्वामी द्वारा कहा गया कि कराये गये हस्ताक्षर केवल जन सुनवाई की उपस्थिति से सम्बन्धित है। इसका किसी भी प्रकार की सहमति अथवा असहमति से सम्बन्ध नहीं है।

क्रमशः–2

श्री दुर्गा सिंह, ग्राम–बजेता, पिथौरागढ़।

इनके द्वारा कहा गया कि खनन व्यावसायी द्वारा पूर्व में क्षेत्र की जनता के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी लोगो द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। उस समय हमारे द्वारा कहा गया था कि गॉव को कोई नुकसान न होने की दशा में इस परियोजना को हमारी सहमति है। किन्तु आज कुछ लोगो के प्रभाव में आकर कुछ लोग कभी सहमत और कभी असहमत की स्थिति बनाकर संशय पैदा कर रहे हैं।

अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के पृक्षा करने पर श्री दुर्गा सिंह द्वारा बताया गया कि इस परियोजना में कोई जल का श्रोत नहीं है।

श्री दुर्गा सिंह द्वारा कहा गया कि खनन व्यावसाय से रोजगार प्राप्त होगा, जिससे हमारी आमदनी में इजाफा होने के साथ–साथ हमारे बच्चो द्वारा पलायन न कर, यही रोजगार प्राप्त कर हमारे जैसे बुजुर्गो की देख–रेख की जायेगी। उनके द्वारा भड़काऊँ लोगो के प्रभाव में न आने का भी अनुरोध किया गया।

3. श्री हेमन्त कुमार, ग्राम–बजेता, खोलिया बगढ़, पिथौरागढ।

श्री हेमन्त कुमार द्वारा कहा गया कि वें सब ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए है जिसकी समस्याऐ कुछ पृथक हैं। इनके द्वारा कहा गया कि परियोजना के प्रस्तुतीकरण में किसी भी पुनर्वास के लिए धन आवंटित नही किया गया, जो कि सोचनीय विषय है। इनके द्वारा कहा गया कि पूर्व में किये सर्वेक्षणों में सड़क के नीचे बसे परिवारों को सुरक्षित माना गया है, जिसका आधार उचित प्रतीत नहीं होता है। इनके द्वारा मॉग की गई कि पुनर्वास के सम्बन्ध में हमें अवगत कराया जाये एवं हमारे पुनर्वास की व्यवस्था की जाये। इनके द्वारा कहा गया कि पुनर्वास के सम्बन्ध की जानकारी होने के पश्चात ही हम अग्रेत्तर कोई विचार कर पायेंगे।

4. श्री गंगा सिंह, ग्राम–बजेता, पिथौरागढ।

इनके द्वारा पूर्व वक्ता श्री दुर्गा सिंह द्वारा कही गई बातो का समर्थन किया गया एवं इस परियोजना से सहमति व्यक्त करते हुए कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में बरगलाने वालो ने पूर्व में ही सहमति दे दी गई है। उस समय उनके द्वारा इस प्रकार की विरोधात्मक बातो पर विचार क्यो नहीं किया गया।

5. श्री बसन्त सिंह, ग्राम–बजेता, पिथौरागढ़।

इनके द्वारा पूर्व वक्ताओं द्वारा कही गई बातों का समर्थन करते हुए इस परियोजना के सम्बन्ध में अपनी अनापत्ति व्यक्त की गई। इनके द्वारा कहा गया कि इस खनन से 8–10 परिवारों पर प्रभाव पड़ेगा।

6. डा0 कुन्दन प्रसाद, ग्राम–बजेता, पिथौरागढ़।

इनके द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना से पूरा गॉव प्रभावित होगा एवं प्रशासन द्वारा पूर्व में किये गये सर्वेक्षण से ग्रामीण संतुष्ट नहीं है। इनके द्वारा कहा गया कि खनन परियोजना द्वारा कहा गया है कि किसी भवन के प्रभावित होने पर उसकी भरपाई की जायेगी। इनके द्वारा कहा गया कि प्राईमरी पाठशाला खनन क्षेत्र के ठीक ऊपर है, जिससे खनन प्रारम्भ होने पर उसे खतरा है। इनके द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित योजना से भूस्खलन का खतरा है। इनके द्वारा कहा गया कि क्षेत्र के लोग गरीब है एवं सरकारी योजनाओं के राशन पर ही निर्भर है। अतः अन्य पुनर्वास में असमर्थ हैं। इनके द्वारा खनन क्षेत्र के निरीक्षण की मॉग की गई।

इनके द्वारा पैनल को एक प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जो कि संलग्न है।

क्रमशः–3

7. अनीराम, ग्राम–बजेता, पिथौरागढ़

इनके द्वारा कहा गया कि पूर्व में प्रस्तावित जमीन कम बताई गई, जो कि अब अधिक प्रतीत होती है। इनके द्वारा कहा गया कि पूर्व में कराये गये हस्ताक्षर मेरे नहीं है, जिसकी जॉच की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जो कि संलग्न है। अपर जिलाधिकारी द्वारा उनका प्रत्यावेदन प्राप्त किया गया। इनके द्वारा परियोजना से भूस्खलन आदि की शंका व्यक्त की गई और मॉग की गई कि क्षेत्र का पुनः भ्रमण किया जाये, क्योकि यह क्षेत्र भूस्खलन की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है।

8. श्री खुशाल राम , ग्राम–बजेता, पिथौरागढ़।

इनके द्वारा कहा गया कि परियोजना की अवधि 50 वर्ष अवगत कराई गई है। उनके द्वारा पूछा गया कि अगले 50 वर्षों में भी प्रत्येक वर्ष का इसी प्रकार अद्ययन होगा अथवा नहीं तथा आगामी वर्षों में यह किस प्रकार परिवर्तित एवं मूल्यांकित होगा। इनके द्वारा कहा गया कि आज•कही गई बातों को ग्राम पंचायत में रखा जाना चाहिए एवं उन पर अमल होना चाहिए ताकि आगामी पीढ़ी को भी इन चीजो की जानकारी रहे। उनके द्वारा कहा गया कि आगामी समय में महॅगाई आदि को दृष्टिगत रखते हुए मुआवजे आदि का निर्धारण होगा या नहीं इस बारे में जानकारी रखने की बात कही गई।

9. अमृता बिष्ट, ग्राम–पोर्थीखेत बगढ़, पिथौरागढ़।

इनके द्वारा कहा गया कि पूर्व में यहॉ रहने वाली जनता की कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। क्योकि वे अनपढ़ है। उन्है जो भी सरकारी व्यवस्था वर्तमान में मिल रही है वह भविष्य में भी जारी रहनी चाहिए। इनके द्वारा मॉग की गई कि क्षेत्र की सड़को को दुरस्त किया जाये। इनके द्वारा कहा गया कि आपदा पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है। यह एक दैविक आपदा है।

जन सुनवाई में उपस्थित जनता से ग्राम, तोको तथा जनसंख्या की जानकारी पूछी गई, जिस पर उपस्थित जनता द्वारा 4 तोक तथा 250–275 जनसंख्या अवगत कराई गई। अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा पूॅछा गया कि परियोजना से आवासीय संरचनायें स्कूल आदि प्रभावित है अथवा नहीं के सम्बन्ध में पृछा किये जाने पर जनता द्वारा अवगत कराया गया कि प्राईमरी विद्यालय प्रभावित हो रहा है।

श्री हेमन्त कुमार, ग्राम–बजेता, खोलिया बगढ़, पिथौरागढ कहा गया कि गॉव के ग्रामीणों को पुनर्वास के सम्बन्ध मे एक शंका है। इनके द्वारा कहा गया कि कम जमीन वाले ग्रामीणों को जे.डी. मिनरल द्वारा किस प्रकार पुनर्वासित किया जायेगा एवं उसका क्या आधार होगा।

इस पर **श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, पट्टाधारक** द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना द्वारा जिलाधिकारी को पूर्व में ही लिखित रूप से आश्वस्त किया गया है कि पुनर्वास की स्थिति में ग्रामीणों को पुनर्वासित किया जायेगा एवं कम जमीन वालो को भी पुनर्वासित किया जायेगा, जिसके लिए फिर से एक बैठक की जायेगी। इनके द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित योजना से जो कुछ भी प्रभावित होगा उसी भरपाई की जायेगी।

इसके पश्चात् कहा गया कि परियोजना प्रस्तावक तथा क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर पुनः एक बैठक कर लें एवं विस्तृत विचार विमर्श कर आपसी शर्तो का निर्धारण कर लें। क्षेत्र के अधिकांश लोगों ने क्षेत्र को भूरखलन प्रभावित बताया गया है।

उक्त जनसुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जनसमुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है एवं सुनवाई मे प्राप्त एक प्रत्यावेदन भी संलग्न है।

(नरेश गोस्वामी)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
उ0प0स0 एवं प्र0नि0बोर्ड हल्द्वानी

(आर0डी0 पालीवाल)
अपर जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

सेवा में,
श्रीमान एस०डी०एम० महोदय पिथौरागढ़
हाल कैम्प, पिथौरागढ़ (बासबगड़)

विषय- तोक बजेता, ग्राम, कोलिया बगड़- डुमतल्ला, का स्थलीय निरीक्षण चाहने बाबत ।

महोदय, निवेदन है कि,

1- ग्राम बजेता में के०डी० मिनरल्स राजेन्द्र सिंह दानौरी द्वारा ग्राम बजेता में 17.967 है० भूमि में खड़िया खनन प्रस्तावित है, जब पट्टेधारक द्वारा खड़िया खनन का सीमांकन हुआ तब प्रार्थियों को ज्ञात हुआ कि इतने बड़े भू-भाग में खनन होने जा रहा है जो प्रार्थियों के बस्ती के बीच ऊपर व नीचे है, तब प्रार्थियों ने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में अपनी आपत्ती दर्ज करायी गयी ।

2- श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के जाँच के आदेश में दि० 24/12/20 को श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय ने केवल तोक डुमतल्ला का स्थलीय निरक्षण किया जिसमें प्रार्थीगण संतुष्ट नहीं है,

3- खनन क्षेत्र एकाएक अति ढलान में है खनन होने पर पूरे गाँव के आवासीय भवन व जमीन दबने व खिसकने का अत्यन्त खतरा, पट्टेधारक ने अपने बॉण्ड पेपर में बिन्दु सं० 3 में लिखा है कि खनन से यदि किसी आवासीय भवन को क्षति होने पर उसकी भरपाई की जायेगी, परन्तु प्रार्थीगणों को परिवार व मवेसी उसी घर रहते है इसलिये हम अपनी जान-माल की सुरक्षा चाहते हैं,

4- तोक रोपासैण में पूरे ग्राम बजेता का एकमात्र प्रा० स्कूल है जो इस खनन क्षेत्र के ऊपर है खनन शुरु होता है तो बच्चों के जान माल व स्कूल भवन को क्षति होने अत्यन्त खतरा है

5- महोदय यह क्षेत्र भूस्खलन का अति संवेदनशील है

6- गतवर्ष तोक डुमतल्ला व कोलिया बगड़ में भूस्खलन हुआ जिसका निरक्षण उपजिलाधिकारी व तहसीलदार महोदय का स्थलीय निरक्षण है जिस कारण वर्तमान में चैकडाम निर्माण चल रहा है

7- महोदय इनमें से कुछ परिवारों को केवल तोक रोपासैण में खड़िया क्षेत्र बताकर सादे कागजों में हस्ताक्षर करवाये गये वो सीमांकन करने पता चला कि खड़िया खनन क्षेत्र रोपासैण से लेकर बना गधेरे तक जो उक्त बस्तियों के ऊपर व नीचे है,

8- महोदय उक्त व्यक्तियों के अधिकांश परिवार बी०पी०एल० व अन्त्योदय वाले हैं. जिनका भरण पोषण सरकारी सस्ते गल्ले के राशन से हो रहा है जिससे प्रार्थीगण अन्यत्र जाने में असमर्थ हैं

अतः महोदय से प्रार्थना है कि प्रार्थियों की आपत्ति को देखते हुये उक्त खनन क्षेत्र के मकान, व नाप तथा कब्जे वाली भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया जाय.

प्रार्थीगण
समस्त वजेना ग्राम वासी

प्र. कुन्दन प्रसाद S/o
(1) लालू राम [signature]
(2) Nainu
(3) Hari Ram
(4) राजेन्द्र कुमार
5 [signature]
6- रमुली देवी
7 K.C. Ram
8 [illegible] सिंह
9 [signature]
10 धनीराम
11. धाना [signature]
[signature]

लालसिंह
14 कुन्दन राम [signature]
15 Ramesh Kumar
16 श्याम सिंह
17 तिलक राम
18 जसपाल सिंह
19 प्रकाश राम

20 लछमराम
21- खुशाल राम
गोविन्द राम
22- डिगर सिंह
22 मोहन राम
23 डोगर सिंह
24 राजेन्द्र सिंह
25- दरपान राम
आनसिंह
26
27 [signature]

सेवा में, निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय
पर्यावरण उत्तराखण्ड संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
हल्द्वानी।

[illegible] मल्ला [illegible]
[illegible] (बाखवाड)

विषय – [illegible]

[illegible]

1- [illegible] द्वारा [illegible] है [illegible] खड़िया खनन [illegible] ग्रामीणों को [illegible] हुआ कि इनके बड़े [illegible] ग्रामीणों के [illegible] श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के [illegible] में अपनी आपत्ति दर्ज करायी गयी।

2- श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के [illegible] आदेश में दि० 21/12/2019 को श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय को [illegible] खनन का [illegible] किया [illegible] आपत्तियों का [illegible] नहीं है

3- खनन क्षेत्र [illegible] है [illegible] आवागमन [illegible] खड़िया का अवैध खनन [illegible] पट्टेधारक ने अपने [illegible] फार्म में बिन्दु 3 में लिखा है कि खनन से यदि किसी आवासीय भवन को क्षति होने पर उसको [illegible] परन्तु [illegible] ग्रामीण [illegible] परिवार व मवेशी [illegible] इसलिये हम अपनी जान माल की सुरक्षा चाहते है।

4- गाँव [illegible] में पूरे ग्राम [illegible] का एकमात्र [illegible] स्कूल है जो [illegible] खनन क्षेत्र के ऊपर है खनन शुरू होता है तो [illegible] स्कूल भवन को क्षति [illegible] उत्पन्न [illegible] है

5- [illegible] है

6- [illegible] हुआ [illegible] [illegible]

7- [illegible] है।

PTO

8- महोदय उक्त व्यक्तियों के आतंक से परेशान होकर [illegible] वाले हैं जिनका मजदूरी [illegible] रहने [illegible] के कारण [illegible] रहा है जिससे ग्रामीण अत्यन्त भय में [illegible] है

अतः महोदय से प्रार्थना है कि व्यक्तियों की [illegible] करते हुये उक्त [illegible] के [illegible] कार्यवाही [illegible] किया जाये

प्रार्थीगण

1. S/O कुन्दन प्रसाद S/o लाखन सागर वालो गांव [illegible]
2. [signature]
3. राजेन्द्र कुमार
4. ~~[illegible]~~

7. दुलारी देवी

8. [signature]

9. [signature]

10. धामा

11. धनीराम

[signature]

लाल सिंह

14 - कुन्दन राम -- [signature]

15 Ramesh Kumar

16 भीम सिंह

17 त्रिलोक राम

18 जमपाल सिंह

19 प्रकाश राम

20 [signature]

21 - खुशाल राम

22 - गोविन्द राम

23 - डिगर सिंह

24. मोहन राम

25 डिगर सिंह

26 राजेन्द्र सिंह

27 हरपाल

28 आन सिंह

29 हरि सिंह

मैसर्स [illegible] ग्राम [illegible] तहसील [illegible]:
[illegible] खनन परियोजना की पर्यावरणीय
स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई
की उपस्थिति

सुनवाई स्थल:

दिनांक — 12/01/20

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
①	R.D. [illegible]	ADM	[illegible]
②	नरेन्द्र गोस्वामी	AEE, UEPPCB, Haldwani	[illegible]
③	देवेन्द्र सिंह [illegible]	[illegible]	[illegible]
④	[illegible]	—	[illegible]
⑤	Rajendra Singh	Bajeta	[illegible]
⑥	Ramesh Singh	Bansbagar	[illegible]
⑦	[illegible]	[illegible]	[illegible]
⑧	महेन्द्र सिंह	[illegible]	
⑨	[illegible] सिंह	[illegible]	
⑩	दुर्गा सिंह पवार	कपकोट	D.S. Pawar
⑪	[illegible] Singh	Bajeta	[illegible]
⑫	डॉ. कुन्दन प्रसाद	[illegible]	[illegible]
⑬	राजेन्द्र कुमार	[illegible]	[illegible]
⑭	[illegible] सिंह		TKsM
⑮	राजेन्द्र सिंह		
⑯	[illegible] सिंह	[illegible]	[illegible]
⑰	[illegible] सिंह	[illegible]	[illegible]
⑱	हेमन्त कुमार	" [illegible]	[illegible]

क्रं.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
20	नारायण सिंह	बालेसर	[illegible]
21	गंगा सिंह	"	[illegible]
22	खड़क सिंह	"	[illegible]
23	डिगर सिंह	"	डिगरसिंह
24	लालसिंह		
25	मोहनराम	बजेता	मोहनराम
26	चन्द्रराम	"	चन्द्रराम
27	लाखुराम	"	[illegible]
28	छानी राम	do	[illegible]
29	[illegible] राम	—	[illegible]
30	[illegible]	—	[illegible]
31	नैनराम	—	[illegible]
32	[illegible]	—	[illegible]
33	प्रमोद कुमार	—	[illegible]
34	गोविन्दराम	—	गोविन्द
35	[illegible]	—	[illegible]
36	[illegible]	—	[illegible]
37	[illegible]	—	[illegible]
38	आनसिंह	—	आनसिंह
39	[illegible]	—	[illegible]
40	प्रकाशराम	—	प्रकाशराम
41	गोविन्दराम	—	गोविन्दराम
42	धीम सिंह	—	धीम सिंह
43	प्रेमसिंह	—	[illegible]
44	कुंदनसिंह	नैनकोट	[illegible]
45	प्रह्लादसिंह	[illegible]	[illegible]
46	मोतसिंह	[illegible]	मोतसिंह
47	गंगा सिंह	[illegible]	गंगासिंह

क्र०	नाम	पता	ह०
48	तेजीसिंह	पोखी	तेजीसिंह
49	भूपेन्द्र सिंह	पोखी	भूपेन्द्र सिंह
49	कुन्दन सिंह	पोखी	कुन्दन सिंह
50	प्रेमसिंह राणा	पोखी	[illegible]
51	डिगर सिंह बिष्ट	ग्राम पोखी खेल गराड	[illegible]
52	डिगर सिंह	पोखी	[illegible]
53	दिनेश कुमार	पोखी	[illegible]
54	सौरभ जोशी	कोसल गाड	[illegible]
55	दीपक जोशी	" "	[illegible]
56	विमल उप्रेती	"	[illegible]
57	प्रेम सागर	बजेला	[illegible]
58	चम्पा बिष्ट	सुराघ	चम्पा
59	भावना देवी	बजेला	भावना देवी
60	धाना देवी	बजेला	धाना देवी
61	Bhagirathi	खेतलगराड	Bhagirathi
62			
63	[illegible]	खेतलगराड	[illegible]
64	डिगर सिंह	बजेला	[illegible]
65	कुन्दन सिंह	राया	[illegible]
66	हरीश सिंह	राया	[illegible]
67	जंगा सिंह	ग्राम गाँव	जंगा सिंह
68	सुभाष [illegible]	बजेला	[illegible]
69	Kumar Singh	[illegible]	Kumar
70	Akhil Kumar	पर्यावरण सलाहकार	Akhil
71	Nikhil	बजेला ग्राम	[illegible]
72	Sanchit Kumar	Cognizance Research	[illegible]
73	Sushant Gaur	Cognizance Research	[illegible]
74	Ankur Sharma	Cognizance Research	[illegible]
75	M. S. NEGI	P. C. B	[illegible]